

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

26

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे स्पष्टि हो।



ग्राम : सूनीवर्हिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1349

दिनांक : 26-02-14


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णय MAA PEETAMBRAPEETH MAHAVIDYALYA, LAHAR, BHIND को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए.-(आ.पा. हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.एस-सी.- (आ.पा., रसायन, भौतिक जीव विज्ञान, गणित, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एवं कम्प्यूटर साइंस), बी.कॉम प्लेन/ कम्प्यूटर, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एच.एस.सी. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-


1. यदि महाविद्यालय द्वारा तीन माह के अन्दर प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह के अन्दर न की जावे तो महाविद्यालय को अगले सत्र की सबद्धता पर विचार न किया जावे।
2. 50,000/- की पुस्तक क्रय करें।
3. 10 कम्प्यूटर क्रय किये जावे।
4. प्रयोगशाला हेतु 50,000/- के उपकरण क्रय किये जावे।
5. शिक्षकों को वेतन बैंक के माध्यम से दें।
6. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना करें।
7. परिनियम 27, 28 का पालन करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य MAA PEETAMBRAPEETH MAHAVIDYALYA, LAHAR, BHIND.
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)